क्रम-संख्या--179

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1246/सत्रह-वि-1--1 (क)-12-2000

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

चूंकि विद्यमान ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल मई, 2000 में समाप्त हो रहा है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल जनवरी, 2001 तक बना रहेगा;

और चूंकि ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान क्षेत्र पंचायतों के पदेन सदस्य हैं और क्षेत्र पंचायतों के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के पदेन सदस्य हैं, और यह समीचीन होगा कि सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन एक साथ कराये जायें;

और चूंकि ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के संघटन के लिये उनके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन की व्यवस्था कराया जाना साध्य नहीं होगा;

और चूंकि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान और निर्वाचन के पश्चात् इसके पुनर्संघटन के मध्य की अवधि के लिये प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है और इस कमी को दूर किया जाना आवश्यक है;

अतएव भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 18 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय—2

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 12 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।"

धारा 12-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12-ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।"

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 8 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति जिसमें क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रूप से निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और क्षेत्र पंचायत, उसके प्रमुख और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य,

यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।"

धारा 20 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायगी, अर्थात् :—

"(3-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में, किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और जिला पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।"

अध्याय—4

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2000

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य, या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेंगी मानो यह अधिनियम उनमें सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1246 (2)/XVII-V-1—1(KA)-12-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 22 OF 2000)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

WHEREAS the duration of the existing Gram Panchayats and Zila Panchayats is due to expire in the month of May, 2000, while the duration of Kshettra Panchayats is to continue till January, 2001;

AND WHEREAS all the Pradhans of Gram Panchayats are *ex-officio* members of Kshettra Panchayats and all Pramukhs of Kshettra Panchayats are *ex-officio* members of Zila Panchayats and it shall be expedient that elections to all the three tiers of the Panchayats be held simultaneously;

AND WHEREAS it would not be practicable to make arrangements elections to constitute Gram Panchayats and Zila Panchayats before t expiry of their duration;

AND WHEREAS the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and t Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 19 do not provide for making administrative arrangements for the perio between the expiry of the duration of a Gram Panchayat, Kshettra Panch yat or Zila Panchayat and its reconstitution after election and it necessary to remove this lacuna;

IT IS THEREFORE HEREBY enacted in the Fifty-first Year of th Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

Prelimtnary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 18, 2000.

CHAPTER-II

Amendment of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

Amendment of section 12 of U.P. Act no. 26 of 1947.

2. In section 12 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Gram Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Gram Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Gram Panchayat, its Pradhan and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be."

Amendment of section 12-BB

3. In section 12-BB of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission, by notification, appoint the date or dates for general election or bye-election of the Pradhan, Up-Pradhan or members of a Gram Panchayat."

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961

Amendment of section 8 of U. P. Act no. 33 of 1961

4. In section 8 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Kshettra Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an Administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Kshettra Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Kshettra Panchayat, its Pramukh and Committees shall vest in and be

(120)

exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be."

5. In section 20 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 20

"(3-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Zila Panchayat before the expiry of its duration. The State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an Administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Zila Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Zila Panchayat, its Adhyaksha and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be."

CHAPTER-IV

Miscellaneous

U. P. Ordinance no. 10 of 2000

6. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Acts as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 48 सा० विधा०--(473)--2000--850 (मै०)।

(121)